Foreign companies involved in oil exploration would be levied income-tax at a fixed rate of 50% while Indian companies would be governed by the relevant provisions of the IncomeTax. In addition private companies would share profit oil with the Government.

(d) The crude oil production from the discovered fields is expected to be of the order of 0.81 million tonnes during 1995-96.

Complaints regarding Traffic in Delhi

689. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the traffic related complaints in Delhi acted upon and if so, the number of complaints received in the last three years till date and what action was taken thereon indicating the nature of complaints;

(b) what steps have been taken to improve the traffic control on the roads in Delhi; and

(c) the number of road fatalities cases in Delhi, Bombay, Calcutta, Madras, Bangalore, Hyderabad, Kanpur in the last three years till date?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (PROF. M. KAMSON): (a) A statement containing the information available regarding the number of complaints received during the relevant period together with action taken thereon is enclosed, *{see* below,)

The complaints received are on various counts. These include, inter-alia, complaints against TSRs/Taxis for refusal to take passengers and overcharing of fare, complaints against traffic police personnel for mishaviour or malpractices and complaints relating to traffic problems.

(b) The Delhi Police has drawn up a comprehensive Action Plan which envisages enforcement of traffic rules, education of public in traffic rules and undertaking of road safety measures and engineering works covering traffic signals, road dividers, road inter-sections, road markings, etc.

(c) The information available about the number of road fatalities in Delhi, Bombay, Calcutta, Madras, Bangalore, Hyderabad and Kanpur during the relevant period is given below:—

City	1993	1994	1995	1996 (Upto 31.1.96)
Delhi	1891	1790	1981	183
Bombay	1209	1423	N.A.	N.A.
Calcutta	494	513	N.A.	N.A.
Madras	500	479	N.A.	N.A.
Bangalor	367	607	N.A.	N.A.
Hyderaba	452	397	N.A.	N.A.
Kanpur	269	289	N.A.	N.A.

Note: N.A. stands for NotAvailable.

Statement

(a) Complaints received during the last 3 years and till 31.1.96 regarding refusal/overcharging by TSRs/Taxis

Year	TSRs	Action taken u/s 133ofM.V. Act in which notices issued to the owners	Taxis	Action taken u/s 133 of M.V. Act in which notices issued to the owners
1993	1816	1755	166	147
1994	1495	1403	296	247
1995	1945	1772	150	140
1.1.96 to 31.1.96	209	Notices are being	Nil	Nil

(b) Complaints related to Traffic during the Last Three Years Till 26.2.96

Sl No.	Year	Nature of complaints		Total	Filed	Disposed off		Pending
		Misbehaviour/ harassment	Malpractice			Action taken Major Punishment	Minor Punishment	
1.	1993	570	39	609	609	—	—	—
2.	1994	430	72	502	489	—	4	9
3.	1995	425	74	499	441	—	—	58
4.	1996 (upto 25.2.96)	86	6	92	44			48

नष्टप्राय: खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए शीत भंडारण सुविधा

690. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या आलू तथा प्याज आदि जैसे नष्टप्राय: खाद्य पदार्थो के भंडारण के लिए शीत भंडारण सुविधा की कोई कमी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं, और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने का कोई विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव) : (क) से (घ) 1.1.95 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार नष्ट हो जाने वाले पदार्थो के भंडारण हेतु 85.77 लाख टन की स्थापित क्षमता वाले करीब 3167 प्रशीतन भंडार थे। इनमें से 76.11 लाख टन की स्थापित क्षमता वाले 1909 प्रशीतन भंडार केवल आलू के भण्डार के लिए थे। हालांकि फल व सब्जियों, दूध से बनी वस्तुओं, मांस, मछली पाल्ट्री आदि समेत नष्टप्राय: खाद्य पदार्थो के भण्डारण हेतु प्रशीतन सुविधाओं की सही कमी का पता लगाने हेतु कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया हैं, लेकिन आलू के लिए प्रशीतन सुविधाओं की तुलना में मांस, पाल्ट्री और दूध से बने पदार्थो के लिए प्रशीतन सुविधाएं कम हैं। निजी क्षेत्र द्वारा प्रशीतन भंडार स्थापित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं हैं और कुल प्रशीतन भंडारों में से 85% भंडार निजी क्षेत्र में हैं।

चुनाव में धनराशि के दुरूपयोग को रोकने के लिए कानून

691. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने सरकार से चुनाव में धनराशि के दुरूपयोग को रोकने के लिए कोई कानून मनाने के लिए कहा हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कानून बनाने से पूर्व सभी राजनीतिक दलों से परामर्श करने का निर्णय लिया हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ड.) यह कानून कब तक बना लिया जायेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) से (ड.) चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण (1) को हटाने की अनुशंसा की हैं। 24.2.1996 को हुई एक बैठक में सरकार ने राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ चुनाव सुधारों से संबंधित कतिपय अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ इस प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श किया था। हालांकि, इस मामले मे अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया हैं।

Non-Political persons provided with 'Z' category security

692. SHRI SANJAY DALMIA:
MAULAN A OBA1DULLAH KHAN AZMI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the names of the non-political persons